हेतु कोई स्थायी व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा के तहत किए गए समस्त कार्यों के लिए खर्च की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों के हैंडलिंग और परिवहन का अधिकांश कार्य ठेका प्रणाली के अधीन किया जाता है।

(ग) और (घ) हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियां खुली निविदा इंक्वायरी के माध्यम से की जाती है जिसके लिए प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। ठेके देते समय अन्य बातों के साथ-साथ निविदाकारों का पिछला अनुभव, कारोबार संबंधी सामर्थ्य वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) ठेके पर किए गए कार्य पर हुआ वर्षवार व्यय निम्नानुसार है:—

वर्ष	रुपए/करोड़
1992-93	210.61
1993-94	257.84
1994-95	272.61

Export of Rice

1363. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the total quantity of rice which was exported out of the total rice in the godowns and the rate of export;

(b) whether it is a fact that export rate was less than the purchase rate;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) what is the broken percentage of such rate?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) In view of the comfortable stock position of foodgrains in the central pool, the Food Corporation of India has been authorised to export/sell for the purpose of export a quantity of 2.00 million tonnes of fine and superfine rice during 1995-96 at the rates fixed by the Government from time to time. The Food Corporation of India has not exported any quantity of rice directly. However, it has sold, upto November, 1995, about 15 lakh tonnes of fine and superfine rice to private exporters and Public Sector Undertakings (STC MMTC & PEC) for the purpose of export. The prevailing export sale rates are given in the enclosed statement. (*See* below)

(b) and (c) No Sir, the price for the sale of rice for the purpose of export is above levy price fixed by the Government of India but less than the Economic Cost of Food Corporation of India.

(d) Broken percentage

Variety		Tolerance Limit	Rejection Limit
Fine	Raw	20%	25%
	Boiled	17%	22%
Superfine	Raw	18%	23%
	Boiled	13%	18%

Statement

Price of Rice for the purpose of Exports w.e.f. 28.11.95

S.No.	Name of the State/Port town	(RATE: RUPEES PER METRIC TONNES) Sale price of fine/superfine rice for the purpose of export under the open market sales scheme.	
		Fine (Raw/Boiled)	Superfine (Raw/Boiled)
1	2	3	4
1.	Punjab	7110	7420
2.	Haryana	7050	7370
3.	U.P.	7050	7210

1	2	3	4
4.	Rajasthan	7050	7210
5.	Jammu & Kashmir	7050	7210
6.	Delhi	6790	7110
7.	Maharashtra		
	(Bombay,	6980	7300
	Mahim, etc.,	6680	7000
	Rest of Maharashtra		
8.	Madhya Pradesh	6680	7000
9.	Gujarat (Kandla/		
	Rozi/Okha/	6980	7300
	Bhavnagar)*	6680	7000
	Rest of Gujarat		
10.	Kerala (Cochin,		
	etc.,)*	6980	7300
	Rest of Kerala	6680	7000
11.	Tamil Nadu (Madras,		
	Cuddalore, Tuticorin,		
	Pondicherry)*	6980	7300
	Rest of Tamil Nadu	6680	7000
12.	Karnataka (Old/		
	New Mangalore,		
	Karwar etc.)*	6980	7300
	Rest of Karnataka	6680	7000
13.	Andhra Pradesh		
	(Kakinada, Vizag)*		
	Rest of Andhra	6980	7300
	Pradesh	6680	7000
14.	West Bengal		
	(Calcutta, Haldia)*	6980	7300
	Rest of West Bengal	6680	7000
15.	Orissa (Paradeep)*	7040	7350
	Rest of Orissa	6740	7050
16.	Bihar	6680	7000

* These rates would be applicable within 50 kms. from the port as well as in the case of dedicated movement by rail undertaken by the FCI towards port town godowns/rail heads or any other destination (e.g. in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal etc.,) where sales/deliveries would be effected by FCI as desired by the exporters.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने के आदेश

1364. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग और विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों ने आदेश दिया है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जाये;

(ख) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान देश भर के सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए मुआवजे की राशि के बारे में कोई आंकड़े संकलित किए हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को मुआवजा दिए जाने के मामलों में मुआवजे की राशि को राजकोष के स्थान पर संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूल किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित न्यायालय प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करने में सक्षम हैं। केन्द्रीय सरकार देश भर में विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में कोई समेकित आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) इस समय इस संबंध में इन नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या जब कभी न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय किया जाता है तो संबंधित विभाग विद्यमान नियमों के तहत कार्रवाई करता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाया गया लाभ

1365. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम गत तीन वर्षों से लाभ कमा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है